IJAER/ January-February 2024/Volume-13/Issue-1 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

# जनजातियों के कल्याण के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम

**आरती राना**
शोधार्थी कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल उत्तराखंड

**डॉक्टर गुरेंद्र सिंह**
शोध निर्देशक हेमवती नंदन बहुगुणा महाविद्यालय
खटीमा उधम सिंह नगर उत्तराखंड

देश की मुख्य धारा में जनजातीय वर्ग भी अपनी भूमिका निभा सके इसके लिए हम भारतीय संविधान को जनजातीय पंचशील पर आधारित कर जनजातीय प्रावधानों का सहारा लेते हुए उन्हें अपने तरीके से अपने विकास का मार्ग प्रशस्त करने का पूरा मौका दिया है जिससे वे एकीकरण और सांस्कृतिक स्वायत्तता के मध्य समायोजन करते हुए अपने सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक विकास को पा सके और अपनी पहचान पा सके।

## 4.1 जनजातीय विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयास

जनजातीय विकास में भारत सरकार ने स्वतन्त्रता प्राप्ति से अब तक विभिन्न आयोग और कमेटियों का गठन किया, जिन्होंने अपना प्रतिवेदन सरकार के सम्मुख रखा है। इनमें मुख्य है–पिछड़ा वर्ग आयोग प्रतिवेदन (1955), समाज कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण अध्ययन टीम का प्रतिवेदन (1959), बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खण्ड समिति का प्रतिवेदन (1960), अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रतिवेदन (1960–1961), ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु अध्ययन समूह का प्रतिवेदन (1961), अनुसूचित जाति एवं जनजाति रोजगार पर आयोजित सेमिनार का प्रतिवेदन (1964), वन क्षेत्र में जनजातीय अर्थव्यवस्था समिति का प्रतिवेदन (1969), अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण हेतु गठित संसदीय समिति का प्रतिवेदन (1972), जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु गठित टास्क फोर्स समिति का प्रतिवेदन (1972), जनजातीय विकास हेतु विशेषज्ञ समिति प्रतिवेदन(1972) और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी अधिनियम (2006)। इन सभी प्रतिवेदनों द्वारा प्रेषित सुझावों को पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार समय–समय पर लागू करती रही है।[1] भारत के पंचवर्षीय योजनाओं में जनजातीय विकास हेतु किए गए धनराशि का विवरण निम्न तालिका–4.1 प्रदर्शित की जा रही है–

**तालिका–4.1 भारत के पंचवर्षीय योजनाओं में जनजातीय विकास**

| क्र. सं. | पंचवर्षीय योजना | जनजातियों पर आयोजना व्यय करोड. रू0 में | कुल योजना व्यय का प्रतिशत | जनजाति जनसंख्या करोड़ में | कुल जनसंख्या का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–1956) | 17.47 | 0.83 | 2.25 | 6.62 |
| 2. | द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–1961) | 48.86 | 0.87 | 2.62 | 6.62 |
| 3. | तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–1966) | 52.55 | 0.61 | 2.99 | 6.80 |
| 4. | तीन एक वार्षिक योजना (1966–1969) | 34.64 | 0.61 | 3.35 | 6.80 |
| 5. | चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–1974) | 75.00 | 0.47 | 3.80 | 6.90 |
| 6. | पंचम पंचवर्षीय योजना (1974–1978) | 605.00 | 1.11 | 4.11 | 6.90 |
| 7. | वार्षिक योजना (1978–1980) | 867.11 | – | 4.11 | 6.90 |
| 8. | षष्ठ पंचवर्षीय योजना (1980–1985) | 4694.00 | 6.61 | 5.38 | 7.80 |
| 9. | सप्तम पंचवर्षीय योजना (1985–1990) | 7921.00 | 4.40 | 5.78 | 7.80 |
| 10. | वार्षिक योजनाएँ (1990–1992) | 847.00 | – | 6.77 | 8.08 |
| 11. | अष्टम पंचवर्षीय योजना (1992–1997) | 16640.00 | 4.05 | 6.77 | 8.08 |
| 12. | नवम् पंचवर्षीय योजना (1997–2002) | 3174.13 | – | 8.88 | 8.60 |
| 13. | दशम् पंचवर्षीय योजना (2002–2007) | 5754.00 | – | 8.88 | 8.60 |
| 14. | एकादषं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) | 6337.97 | – | 10.42 | 8.60 |
| 15. | द्वादषं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) | 7746.00 | 5.59 | 10.42 | 8.60 |
| 16. | पंचवर्षीय योजना (2018–2020) | 8166.00 | 4.22 | 9.56 | 8.62 |

स्रोत : विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का ड्राफ्ट, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

उपरोक्त तालिका के आधार पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनजातीय विकास पर आयोजित कुल व्यय 17.41 करोड़ रुपये, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय 48.86 करोड़ रुपये, तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय 52.55 करोड़

रुपये, तीन एक वर्षीय योजनाओं में कुल व्यय 34.64 करोड़, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय 75.00 करोड़ रुपये, पंचम पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय 605.00 करोड़ रुपये, वार्षिक योजना 867.11, षष्ठ योजना 4694.00, सप्तम पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय 7921.00 करोड़ रुपये, एक वर्षीय योजना में कुल व्यय 847.00 करोड़ रुपये, अष्टम पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय 16640.00 करोड़ रुपये, नवम् पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय 3174.13 करोड़ रुपये और दशम पंचवर्षीय योजना में कुल 5754.00 करोड़ रुपये व्यय किए गए। एकादशम पंचवर्षीय योजना में 6337.97 करोड़ रूपये व्यय और द्वादषं पंचवर्षीय योजना में 7746.00 करोड़ रूपये और पंचवर्षीय योजना 8166.00 व्यय करने का प्रावधान है।[2] अतः यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार ने जनजातीय विकास हेतु समय–समय पर उचित धन राशि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से मुहैया कराती रही है।

## 4.2 जनजातीय क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम

जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा का वर्णन निम्न आधार पर किया जा सकता है–

### 1. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण (कोचिंग) –

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारें और सार्वजनिक प्रतिस्थानों की नौकरियों में जाने की क्षमता सुधारने की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को भर्ती प्रशिक्षण केन्द्रों में परीक्षा पूर्व कोचिंग उपलब्ध कराने के राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को आधी–आधी सहायता के आधार पर 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। विश्वविद्यालय और निजी संस्थाओं की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के इच्छुक अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के वास्ते परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिए शत–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

### 2. कम साक्षरता वाले इलाकों में जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा

जनजातीय महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 1993–94 में शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पाँचवी कक्षा तक की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकायों और स्वैच्छिक संगठनों के जरिए किया जाता हैं, ''दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना के लिए 33.34 करोड़ रुपये जारी किए गए जिससे प्रतिवर्ष 8000 से ज्यादा जनजातीय बालिकाओं को लाभ मिला। वर्ष 2019–20 के दौरान 76 आवासीय परिसरों के लिए 33.50 करोड़ रूपये जारी किए गए।''

### 3. अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के लिए छात्रावास

यह योजना 1989–90 में शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम के उद्देश्य, शर्तें और सहायता की पद्धति वही है जो लड़कियों के छात्रावास की योजना है।

### 4. अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए पुस्तक बैंक योजना

वर्ष 1991–92 में शुरू की गई इस कार्यक्रम का उद्देश्य है मेडिकल और इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम में पढ़ रहे अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को आवश्यक पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। इस योजना का लाभ कृषि, चिकित्सा और पोलिटेक्निक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी भी उठा सकते हैं। दो विद्यार्थियों के ग्रुप को एक पाठ्य पुस्तकों का सैट दिया जाता है।

### 5. अनुसूचित जनजाति के बालक–बालिकाओं को दसवीं कक्षा से पूर्व

छात्रवृत्तियाँ– वर्ष 1977–78 में शुरू की गई यह अनुसूचित जनजातियों के छठी से दसवीं कक्षा तक के बच्चों का शैक्षिक विकास करने के लिए प्रारम्भ की गई है। ''इस योजना के अंतर्गत छठी से आठवी कक्षा तक के प्रत्येक छात्र को प्रतिमाह 200 रूपये तथा नौवीं से दसवीं के प्रत्येक छात्र को 250 रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है।''

### 6. अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए दसवीं कक्षा के बाद छात्रवृत्तियाँ

वर्ष 1994–95 से शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के उन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो मान्यता प्राप्त संस्थानों में दसवीं कक्षा के बाद मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न स्तरों के व्यावसायिक, तकनीकी और गैर–व्यावसायिक तथा गैर–तकनीकी पाठ्यक्रम शामिल किए जाते हैं। इसमें दूरवर्ती और सतत् शिक्षा सहित पत्राचार पाठ्यक्रम भी शामिल है। ''वर्ष 2019–20 में इस छात्रवृत्ति के लिए 556. 44 करोड़ रूपये जारी किए गए।'' वर्तमान छात्रवृत्ति के अंतर्गत रखरखाव भत्ता, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए वाचक शुल्क, अध्ययन यात्रा खर्च, शोध प्रबंध टंकण/मुद्रण खर्च, पत्राचार पाठ्यक्रम करने वाले विद्यार्थियों के लिए पुस्तक भत्ता और शैक्षिक संस्थानों द्वारा वसूल की जाने वाली अप्रतिदेय फीस शामिल है।

## सन्दर्भ सूची :


1. गया पाण्डेय, "भारतीय जनजातीय संस्कृति", कंसैप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2007 । पृष्ठ संख्या 71–45 ।
2. आदिवासी जीवन में वन और वन उपज का महत्व, अरविन्द कुमार सिंह, कुरूक्षेत्र प्रकाशन, पृष्ठ सं0 33।
3. आदिवासियों के लिये सतत आजीविका, रामराव मुण्डे, डॉ0 मुनी राजू एस0बी0 कुरूक्षेत्र प्रकाशन, पृष्ठ सं0 29।
4. अमीर, हसन, "ए बन्च ऑफ वाइल्ड फ्लावर एण्ड अदर आर्टिकल्स एथनोग्राफिक एण्ड फॉक कल्चर सोसाइटी", उ. प्र. लखनऊ, 1971, पृष्ठ संख्या–100.112।
5. जनजातीयें शिक्षा के बढ़ते क़दम जे0पी0 पाण्डेय, कुरूक्षेत्र प्रकाशन, पृष्ठ सं0 43।
6. आदिवासी जीवन में वन और वन उपज का महत्व, अरविन्द कुमार सिंह, कुरूक्षेत्र प्रकाशन, पृष्ठ सं0 19।
7. निदेशालय, जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून, 2012–13।
8. नरेश चन्द्र जोशी "बदलते परिवेश में भागीरथी भोटिया समस्याएं एवं समाधान", सामाजिकी उत्तर प्रदेश समाजशास्त्र परिषद, संयुक्त अंक, 1987, पृष्ठ संख्या–44–50।